19/7/18

पत्रावली अन्तर्गत आवेदक द्वारा दैनिक कार्यवाही में पेश हुई। पत्रावली में 07 R11 CPC का प्रार्थना पत्र पेश है। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी के अ.वि. द्वारा ने 07 R11 CPC का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद सं. 323 सन 17-18 लंबित है वाद जीवित है न्यायालय में चला जाने दिनांक 29/09/2018 को निर्णित है उस हेतु वादी को वादी स्वामित्व साबित का वाद लाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

रिकार्ड का अवलोकन किया। पक्षकारों को सुना गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी पक्षकार से संबंधित एक वाद पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित है उस हेतु अतः वादी द्वारा वादी पक्षकार से संबंधित वाद एक न्यायालय में चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदक के अ.वि. द्वारा प्रस्तुत 07 R11 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। 07 R11 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निकाल दी जावे। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
मांडवाड़ा (नागौर)

Scanned by CamScanner